भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2836
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिकों की सुरक्षा

†2836. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विगत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हेतु खनिकों के फंसने, घायल होने और मृत्यु के साथ-साथ नागरिकों की चोट और मृत्यु संबंधी खनन घटनाओं के आंकड़े रखती है;
(ख) यदि हाँ, तो विगत दस वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा प्रचालनशील खानों में और उसके आसपास खनिकों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों का निरीक्षण या औचक सुरक्षा संपरीक्षा करती है; और
(ङ) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान ये निरीक्षण कितनी बार हुए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित खान अधिनियम, 1952 में खानों में श्रम एवं सुरक्षा के विनियमन का प्रावधान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, कोयला और गैर-कोयला खानों में हुई मौतों और चोटों की संख्या के राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में दिए गए है।

(ग) से (ङ): केंद्र सरकार ने खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 लागू किया है। इस अधिनियम में प्रशिक्षण,

सुरक्षात्मक उपकरण, चिकित्सा परीक्षण आदि का प्रावधान है। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है।

डीजीएमएस ने खानों में होने वाली मौतों को कम करने और उनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए नियमित जांच, खानों का नियमित निरीक्षण, मानक प्रोटोकॉल तैयार करना, खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा सप्ताह, अभियान और जागरूकता अभियान चलाना आदि शामिल हैं।

डीजीएमएस श्रम-सुविधा पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक निरीक्षण करता है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, खानों की जोखिम रेटिंग के आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं। खानों के निरीक्षण के आधार पर, डीजीएमएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है। निरीक्षण के दौरान किए गए पर्यवेक्षण और घटनाओं पर जांच के निष्कर्षों के आधार पर, प्रबंधन को कानून का पालन न करने के लिए उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पिछले 10 वर्षों में कोयला खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं का राज्य-वार विवरण

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
2015	छत्तीसगढ़	8	8	23	25
	गुजरात	3	3	0	1
	झारखंड	11	11	25	28
	मध्य प्रदेश	7	8	27	31
	महाराष्ट्र	5	5	13	16
	ओडिशा	3	3	4	4
	राजस्थान	1	1	0	0
	तमिलनाडु	1	1	3	3
	तेलंगाना	7	7	187	187
	पश्चिम बंगाल	8	8	20	21
2016	छत्तीसगढ़	5	5	13	13
	गुजरात	0	0	1	3
	झारखंड	22	45	15	17
	मध्य प्रदेश	11	12	24	25
	महाराष्ट्र	4	4	14	14
	ओडिशा	2	2	4	4
	तमिलनाडु	2	2	1	1
	तेलंगाना	10	12	177	179
	उत्तर प्रदेश	1	1	0	2
	पश्चिम बंगाल	10	11	20	21
2017	छत्तीसगढ़	7	7	7	7
	झारखंड	11	12	14	14
	मध्य प्रदेश	6	8	11	11
	महाराष्ट्र	3	4	7	7

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	ओडिशा	5	5	2	2
	राजस्थान	1	1	0	0
	तमिलनाडु	1	1	0	0
	तेलंगाना	12	13	219	225
	उत्तर प्रदेश	1	1	1	1
	पश्चिम बंगाल	9	9	5	5
2018	छत्तीसगढ़	12	15	6	8
	गुजरात	1	2	1	1
	झारखंड	9	14	13	21
	मध्य प्रदेश	6	9	17	17
	महाराष्ट्र	2	2	11	11
	ओडिशा	8	8	2	4
	तमिलनाडु	1	1	0	0
	तेलंगाना	8	8	207	208
	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0
	पश्चिम बंगाल	1	2	8	9
2019	छत्तीसगढ़	7	8	10	10
	झारखंड	11	11	7	12
	मध्य प्रदेश	3	3	8	8
	महाराष्ट्र	3	4	12	13
	ओडिशा	7	10	2	2
	राजस्थान	1	1	0	0
	तमिलनाडु	1	1	0	0
	तेलंगाना	8	8	143	143
	उत्तर प्रदेश	2	2	0	1
	पश्चिम बंगाल	8	8	11	15
2020	छत्तीसगढ़	12	12	5	5
	गुजरात	0	0	1	1
	झारखंड	8	9	11	16
	मध्य प्रदेश	4	5	5	7

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	महाराष्ट्र	4	4	4	4
	ओडिशा	5	5	2	2
	तेलंगाना	9	12	79	86
	उत्तर प्रदेश	0	0	2	3
	पश्चिम बंगाल	6	6	8	14
2021	छत्तीसगढ़	5	5	10	10
	झारखंड	7	8	15	17
	मध्य प्रदेश	7	7	15	15
	महाराष्ट्र	4	4	5	6
	ओडिशा	2	2	3	3
	तमिलनाडु	0	0	1	1
	तेलंगाना	7	13	126	128
	उत्तर प्रदेश	1	1	1	1
	पश्चिम बंगाल	10	11	10	12
2022	छत्तीसगढ़	4	4	19	20
	गुजरात	0	0	1	1
	झारखंड	7	8	16	17
	मध्य प्रदेश	6	7	18	18
	महाराष्ट्र	0	0	9	11
	ओडिशा	0	0	4	4
	राजस्थान	0	0	1	1
	तमिलनाडु	0	0	1	1
	तेलंगाना	5	7	102	107
	उत्तर प्रदेश	0	0	1	1
	पश्चिम बंगाल	2	2	9	9
2023	छत्तीसगढ़	2	2	12	13
	गुजरात	0	0	2	2
	झारखंड	11	12	16	18
	मध्य प्रदेश	4	4	7	7
	महाराष्ट्र	3	3	2	2

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	ओडिशा	6	8	1	4
	तमिलनाडु	1	1	0	0
	तेलंगाना	6	6	67	67
	उत्तर प्रदेश	0	0	6	10
	पश्चिम बंगाल	5	5	4	7
2024	छत्तीसगढ़	6	6	10	10
	गुजरात	1	1	0	0
	झारखंड	3	3	5	6
	मध्य प्रदेश	9	11	4	9
	महाराष्ट्र	2	2	4	4
	ओडिशा	3	3	2	2
	राजस्थान	0	0	1	1
	तमिलनाडु	2	2	2	2
	तेलंगाना	7	8	89	89
	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0
	पश्चिम बंगाल	4	12	2	3

नोट: वर्ष 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं।

अनुलग्नक-**II**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पिछले 10 वर्षों में गैर-कोयला खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं का राज्य-वार विवरण

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
2015	आंध्र प्रदेश	4	5	1	1
	असम	1	1	6	6
	छत्तीसगढ़	1	1	4	5
	गुजरात	1	2	6	18
	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1
	झारखंड	1	1	2	2
	कर्नाटक	3	3	5	6
	केरल	0	0	1	1
	मध्य प्रदेश	1	1	1	1
	महाराष्ट्र	1	1	0	0
	ओडिशा	2	2	1	1
	राजस्थान	19	20	7	7
	तमिलनाडु	4	4	0	1
	तेलंगाना	1	1	0	0
	त्रिपुरा	1	1	0	0
	उत्तर प्रदेश	5	5	0	1
2016	आंध्र प्रदेश	6	8	0	0
	असम	5	5	3	3
	छत्तीसगढ़	2	2	8	8
	गोवा	0	0	1	1
	गुजरात	1	1	3	4
	हरियाणा	1	1	0	0
	झारखंड	3	6	2	4

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	कर्नाटक	3	4	1	1
	केरल	0	0	5	5
	मध्य प्रदेश	2	2	3	3
	महाराष्ट्र	1	2	2	3
	ओडिशा	1	1	1	1
	राजस्थान	5	5	4	4
	तमिलनाडु	4	6	3	6
	तेलंगाना	0	0	1	1
	उत्तर प्रदेश	1	3	0	4
	उत्तरांचल	1	1	0	0
	पश्चिम बंगाल	3	3	0	0
2017	आंध्र प्रदेश	7	16	0	0
	असम	0	0	5	9
	छत्तीसगढ़	0	0	3	5
	गोवा	1	1	0	0
	गुजरात	1	1	4	4
	हरियाणा	1	1	0	0
	झारखंड	2	2	1	1
	कर्नाटक	2	3	1	1
	केरल	0	0	2	2
	मध्य प्रदेश	1	1	1	1
	महाराष्ट्र	2	2	0	2
	ओडिशा	3	4	2	3
	राजस्थान	16	23	3	5
	तमिलनाडु	5	7	0	4
	पश्चिम बंगाल	1	2	0	2
2018	आंध्र प्रदेश	8	10	0	3
	असम	2	2	1	3
	छत्तीसगढ़	1	1	5	5
	गुजरात	0	0	1	1

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	झारखंड	7	9	0	1
	कर्नाटक	2	3	3	4
	केरल	1	1	1	1
	मध्य प्रदेश	2	2	2	3
	महाराष्ट्र	1	1	1	1
	ओडिशा	1	1	4	4
	राजस्थान	17	18	7	10
	तेलंगाना	2	2	1	1
	उत्तर प्रदेश	1	1	0	1
2019	आंध्र प्रदेश	7	7	2	2
	असम	0	0	6	6
	छत्तीसगढ़	1	1	6	6
	गुजरात	4	9	1	2
	हरियाणा	1	1	0	0
	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0
	झारखंड	4	6	3	4
	कर्नाटक	4	4	5	7
	मध्य प्रदेश	6	6	0	2
	महाराष्ट्र	1	1	0	0
	ओडिशा	2	2	6	6
	राजस्थान	8	8	29	30
	तमिलनाडु	2	3	0	1
	तेलंगाना	2	3	0	1
	उत्तर प्रदेश	2	2	0	3
2020	आंध्र प्रदेश	5	5	3	3
	असम	3	4	2	2
	बिहार	1	1	0	1
	छत्तीसगढ़	1	1	2	2
	गुजरात	2	2	1	2
	हरियाणा	1	1	0	0

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	झारखंड	6	7	2	3
	कर्नाटक	2	2	2	2
	केरल	2	3	0	0
	मध्य प्रदेश	2	2	0	1
	महाराष्ट्र	1	2	0	0
	ओडिशा	4	4	3	3
	राजस्थान	6	7	9	10
	तमिलनाडु	3	4	0	2
	उत्तर प्रदेश	1	5	0	2
2021	आंध्र प्रदेश	6	16	3	3
	असम	2	2	0	0
	छत्तीसगढ़	2	2	1	1
	गुजरात	2	3	2	2
	झारखंड	2	3	3	3
	कर्नाटक	2	3	7	7
	मध्य प्रदेश	2	2	4	4
	ओडिशा	3	3	10	11
	राजस्थान	7	10	15	18
	तमिलनाडु	3	4	0	1
	उत्तर प्रदेश	2	2	0	2
2022	आंध्र प्रदेश	5	5	1	1
	असम	1	1	2	2
	छत्तीसगढ़	0	0	6	6
	गुजरात	1	3	4	4
	हरियाणा	1	5	0	3
	झारखंड	4	4	5	5
	कर्नाटक	6	10	7	12
	केरल	1	1	0	0
	मध्य प्रदेश	2	2	3	4
	महाराष्ट्र	0	0	3	3

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	ओडिशा	3	3	3	3
	राजस्थान	12	14	12	19
	तमिलनाडु	1	1	1	2
	तेलंगाना	0	0	1	1
	उत्तर प्रदेश	2	4	0	0
	पश्चिम बंगाल	1	1	0	0
2023	आंध्र प्रदेश	3	4	0	1
	असम	0	0	3	3
	छत्तीसगढ़	2	2	0	0
	गुजरात	0	0	2	2
	झारखंड	1	1	3	3
	कर्नाटक	3	3	5	6
	मध्य प्रदेश	5	5	2	5
	महाराष्ट्र	2	4	4	6
	ओडिशा	1	1	7	7
	राजस्थान	4	6	9	9
	तमिलनाडु	2	2	0	0
	तेलंगाना	2	2	0	0
	उत्तर प्रदेश	3	3	0	1
2024	आंध्र प्रदेश	0	0	4	4
	असम	1	1	1	1
	छत्तीसगढ़	1	1	3	3
	गोवा	0	0	1	1
	झारखंड	3	4	4	8
	कर्नाटक	5	6	4	9
	मध्य प्रदेश	4	5	4	6
	महाराष्ट्र	2	2	1	3
	ओडिशा	4	4	6	7
	राजस्थान	7	8	3	16
	तमिलनाडु	2	2	0	1

वर्ष	राज्य का नाम	घातक दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	गंभीर दुर्घटनाओं की सं.	गंभीर रूप से घायलों की सं.
	तेलंगाना	1	1	0	0
	उत्तर प्रदेश	3	6	0	0

नोट: वर्ष 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं।